माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से मैं, वर्ष 2013–14 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

2. सर्वप्रथम, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का दिसम्बर 2012 में हुए विधान सभा चुनावों में हमें निर्णायक जनादेश देने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल की जनता ने भाजपा सरकार की गलत नीतियों को नकार कर काँग्रेस पार्टी की प्रगतिवादी नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताया है। यह सकारात्मक परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह, UPA अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रगतिशील उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है।

3. हिमाचल और पहाड़ी लोगों के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व के दिल में हमेशा विशेष स्थान रहा है। डा0 यशवन्त सिंह परमार के प्रेरणास्पद नेतृत्व में कांग्रेस ने अविभाजित पंजाब के पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिलाकर विशाल हिमाचल के निर्माण के लिए एक सफल अभियान चलाया था। 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल को भारतीय गणराज्य का 18वां प्रदेश बनाते हुए, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रदेशवासी श्रीमती इंदिरा गांधी के अत्यन्त आभारी हैं। यहां मैं यह कहना चाहूँगा कि:–

कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए।
कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए।

4. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों विशेषतः निर्धन एवं दलित वर्ग के सर्वांगीण और संतुलित विकास के लिए कृत संकल्प है। हमने काँग्रेस के घोषणा पत्र को सरकार का नीति दस्तावेज बनाया है और सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी वर्षों में घोषणा पत्र में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करें। मुझे इस मान्य सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि घोषणा पत्र के कई प्रावधानों को इस प्रथम बजट में ही लागू किया जा रहा है ।

5. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन देगी। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाई जाएगी। सभी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में तीव्रता लाई जाएगी और भ्रष्टाचार में जो संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें त्वरित सुनवाई उपरान्त यथोचित दण्ड दिलवाया जाएगा। पुलिस से यह आशा की जाती है कि वह निष्पक्ष हो कर काम करे। परन्तु पिछली सरकार के कार्यकाल में पुलिस को 'Gestapo' में ही परिवर्तित कर दिया गया था। कुछ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अवैध फोन टैपिंग व मिथ्या केस बनाने में संलिप्त थे। मैं स्वयं एक मिथ्या केस का शिकार बना। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस दुबारा सही मायने में एक व्यावसायिक बल बने जो बिना भय व पक्षपात के लोगों की सेवा करे। मैं यहां विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा किः–

दुनियां में हैं केवल दो चीजें–फूल और कांटे।
जो आप अपने लिए चाहें, वही दुनियां में बांटें।।

सुशासन

6. अध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखने में आया है कि जटिल प्रक्रियाओं एवं लालफीताशाही के कारण सरकारी सेवाएं आम जनता को समय पर नहीं मिल पाती हैं। इसलिए मैं यह घोषणा करता हूँ कि हर विभाग अपने सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं निर्देशिकाओं की

संवीक्षा करेगा और प्रक्रियाओं को सरल करके उन्हें लोकोन्मुखी बनाऐंगे। सभी विभाग इस कार्य को तीन महीने के अंदर पूरा करेंगे।

यहां मैं अलबर्ट आइनस्टाईन को उद्धृत करना चाहूँगाः–

"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them".

इसलिए सिविल सर्वेन्ट्स से मेरी अपेक्षा है कि वे हमेशा आम नागरिकों के हितों को केन्द्र में रख कर कार्य करें।

7. राज्य सरकार प्रदेश की जनता को प्रभावी, कुशल और पारदर्शी सेवाएं देने के लिए कृत संकल्प है। लोगों को समय पर सेवाऐं देना सुनिशिचित करने हेतु **"हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम"** को सख्ती से लागू किया जाएगा। हम और विभागों को इस अधिनियम के तहत लायेंगे ।

8. राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को अधिक से अधिक सेवायें इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से देने को अग्रसर है। वर्तमान में पंद्रह सरकारी सेवाऐं नागरिकों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जिन्हें बढ़ाकर 49 कर दिया जाएगा। इन सेवाओं को कानूनी जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार में "Electronic Sevices Delivery Rules" बनाएगी।

9. सरकारी कामकाज के निपटान को लेकर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने एवं वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु वर्ष 2013–14 में सभी विभागों में "Performance Monitoring and Evaluation System" लागू किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत सभी विभगों को Result Frame Document बनाना जरूरी होगा।

10. सीधे तौर पर या ई–समाधान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायतों के त्वरित निष्पादन एवं समाधान के लिए, हम **राज्य आयुक्त (जन–शिकायत)** की नियुक्ति करेंगे जो इन शिकायतों के समय पर निपटारे की समीक्षा करेगा। सभी विभाग समयबद्ध तरीके से शिकायतों को निपटाने के लिए उत्तरदायी ठहराये जाऐंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर **"प्रशासन जनता के द्वार पर"** शिविर भी लगाए जाऐंगे ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा सके।

11. 12वीं विधान सभा का गठन नए परिसीमन के आधार पर हुआ है। इसके कारण विधान सभा क्षेत्र तथा विभिन्न प्रशासनिक इकाईयां overlap हो रही हैं जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं राज्य में **"प्रशासनिक सीमाऐं पुनर्गठन आयोग"** के गठन की घोषणा करता हूँ, ताकि विभिन्न विभागों की प्रशासनिक इकाईयों का उचित पुनर्गठन हो सके।

12. विभागों की यह आम शिकायत रहती है कि उन्हें नई पहल करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिए, मैं नई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए **"स्टेट इनोवेशन फण्ड"** की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ तथा इसके लिए आरम्भ में ₹5 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

सूचना प्रौद्योगिकी

13. लोगों को घर द्वार पर सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से हम राज्य की प्रत्येक पंचायत में लोकमित्र केन्द्र खोलेंगे। **नेशनल ऑपटिकल फाईबर नेटवर्क** के अन्तर्गत सभी पंचायतों को **ब्राड बैन्ड कनैक्टिविटी** उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं तथा व्यापार इत्यादि का विस्तार पंचायत स्तर पर होगा जैसे पंचायत स्तर पर बीपीओ खोला जाना। इससे रोज़गार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे।

14. हम राज्य में आधार परियोजना क्रियान्वित कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत 57 लाख नागरिकों को पंजीकृत किया जा चुका है जो हमारी कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत से भी अधिक है। हमने जनवरी, 2013 से **डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी0बी0टी0)** कार्यक्रम को आरम्भ किया है। अब, मैं घोषणा करता हूँ कि राज्य सरकार की सभी छात्रवृत्ति स्कीमों तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।

15. हम प्रदेश में आई0 टी0 पार्क तथा इलेक्ट्रॉनिक मेनुफेक्चरिंग कलस्टर स्थापित करने को प्रोत्साहन देंगे।

राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य

16. देश विगत कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था की मंदी के कठिन दौर से गुजर रहा है जिसका कारण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी, तेल की कीमतों का बढ़ना और यूरो जोन की नकारात्मक अर्थव्यवस्था आदि है। इस कारण विदेशी निर्यात तथा औद्योगिक लाभांश में कमी आई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऊंची ब्याज दरें रखने के परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में ऋण जमा अनुपात भी कम रहा। इन कारणों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास दर कम रही है। इन सभी कठिनाईयों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2012–13 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2013–14 में यह स्थिति बेहतर होकर विकास दर बढ़कर 6.1 से 6.7 प्रतिशत के बीच रहने की आशा है।

राज्य का वित्तीय परिदृश्य

17. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र विकास में अग्रणी हो कर उभरा है। हिमाचल प्रदेश, विद्युत तथा पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान है। उत्तरदायी प्रशासन तथा अनुकूल आर्थिक स्थितियों के चलते प्रदेश में प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण हुआ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रदेश की विकास दर का लक्ष्य 9

प्रतिशत निर्धारित किया गया है जोकि महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है परन्तु मुझे आशा है कि प्रदेश के सभी लोगों के सहयोग से हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ।

18. अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जो वर्ष 2011–12 में ₹63,812 करोड़ था, वर्ष 2012–13 में बढ़कर ₹72,076 करोड़ आंका गया है। चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में ₹74,694 से बढ़कर 2012–13 में ₹82,611 होना संभावित है ।

19. हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों में वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, परम्परानुसार राज्य सरकार केवल पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पंजाब वेतनमानों का सामान्यतः अनुसरण करती है। राज्य के कर्मचारियों को 4–9–14 ACPS के अन्तर्गत दिए गए लाभों और वेतनमानों के पुनः संशोधन के परिणामस्वरूप वेतन दायित्व बहुत अधिक बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007–08 में जो वेतन दायित्व ₹2615 करोड़ था जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर ₹6956 करोड़ हो गया। इसी प्रकार पैन्शन का दायित्व ₹880 करोड़ से बढ़कर ₹2839 करोड़ हो गया है तथा ब्याज भुगतान का दायित्व ₹1778 करोड़ से बढ़कर ₹2431 करोड़ हो गया है। मार्च 2008 में देय ऋण ₹21,241 करोड़ था जो कि मार्च 2013 में बढ़कर ₹28,513 करोड़ हो जाएगा। राज्य सरकार का वेतन, पैंशन तथा ब्याज देनदारियों पर प्रतिबद्ध व्यय हमारे राज्य के कर तथा गैर कर राजस्व का लगभग 157 प्रतिशत है। यह स्थिति ज्यादा देर तक चलना संभव नहीं है । इसलिए मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य सुधार हेतु उनके बहुमूल्य समर्थन की कामना करता हूँ।

20. मेरे पूर्व कार्यकाल में वर्ष 1996 में हमने बी0बी0एम0बी0 प्रोजेक्ट पर प्रदेश के हिस्से की देयता के लिए माननीय सर्वोच्च

न्यायालय में केस दायर किया था। मुझे प्रसन्न्ता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय से अंततः हमें इस प्रोजेक्ट में हमारे हक की पुष्टि हुई है। हम अपने दावे की धन राशि को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास जारी रखेंगे।

21. हम श्रीमती सोनियां गांधी व माननीय प्रधान मंत्री के आभारी हैं जिन्होंने संसद में खाद्य सुरक्षा बिल लाया और भारत सरकार के बजट में इस प्रयोजन के लिए ₹10,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा। यह बिल पारित होने पर देश की खाद्य सुरक्षा में एक क्रान्तिकारी कदम होगा। हमारे पिछले कार्यकाल में आरम्भ की गई खाद्य उपदान योजना जिसके अन्तर्गत 3 दालें, खाद्य तेल व आयोडीन युक्त नमक राशन कार्ड धारकों को सबसिडी पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, को आगे भी जारी रखा जाएगा। मैं वर्ष 2013–14 के लिए खाद्य उपदान योजना हेतु ₹175 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।

खाद्यान्न उपदान

22. अध्यक्ष महोदय, सभी वित्तीय गतिरोधों के बावजूद प्रदेश के तीव्र विकास के लिए प्रदेशवासियों से किए वादों के अनुरूप मैं अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूँगा।

12 वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2013–14

23. प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमने योजना आयोग से ₹22800 करोड़ के योजना परिव्यय स्वीकृत कराए हैं जो कि प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना से 65 प्रतिशत अधिक है। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और स्वास्थ्य, आधारभूत अधोसंरचना जैसे कि सड़कें एवं पुल, ऊर्जा, पेयजल, सिंचाई सुविधाओं तथा कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

24. वित्तीय वर्ष 2013–14, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है। हमने वार्षिक योजना 2013–14 के लिए ₹4100 करोड़ के परिव्यय प्रस्तावित किया है। जो कि वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना

के अनुमोदित ₹3700 करोड़ के परिव्ययों की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना 2013–14 में कृषि, ऊर्जा, सड़कों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत करवाना चाहूँगा कि वार्षिक योजना 2013–14 के कुल परिव्ययों का 33.45 प्रतिशत भाग केवल सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए ही चिन्हित किया गया है जो कि प्रदेश की जनता के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का सूचक है।

25. केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आई0सी0डी0एस0, पी0एम0जी0एस0वाई0, इंदिरा आवास योजना, ए0आई0बी0पी0 तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 आदि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य को उदार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मैंने अपने कार्यालय में एक कार्यक्रम अनुश्रवण इकाई की स्थापना की है।

26. मैंने सभी माननीय विधायकों के साथ उनके चुनाव क्षेत्रों से सम्बन्धित विकास प्राथमिकताओं के बारे में गत 23 व 24 जनवरी को विस्तृत चर्चा की है। यह परम्परा मैंने अपने पूर्व कार्यकाल में आरम्भ की थी। वर्तमान में सभी माननीय विधायकों को चुनाव क्षेत्र विकास हेतु विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ₹50 लाख की धनराशि प्राधिकृत की जाती है। बहुत से माननीय विधायकों ने मुझसे जन कल्याण हेतु उन्हें ऐच्छिक निधि का प्रावधान करने बारे अनुरोध किया है। उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए मैं, प्रत्येक माननीय विधायक को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त ऐच्छिक निधि देना प्रस्तावित करता हूँ जिसका उपयोग वे जरूरतमन्दों को सहायता प्रदान करने या अन्य जनहित के कार्यों के लिए कर सकेंगे।

27. अध्यक्ष महोदय, कृषि का राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान है । पौलीहाऊस के माध्यम से संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरे ध्यान में यह आया है कि वर्तमान में प्रदेश में पौलीहाऊस की दो योजनाएं चल रही हैं जिनमें अलग–अलग वित्तपोषण होता है। Horticuture Technology Mission के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान जबकि नाबार्ड पौलीहाऊस योजना में 80 प्रतिशत की सबसिडी दी जाती है। इसलिए मैं यह घोषणा करता हूँ कि लघु व सीमांत किसानों को पौलीहाऊस के निर्माण हेतु दोनों स्कीमों के तहत् सबसिडी अब बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दी जाएगी। कृषि

28. मैं **एकीकृत फसल विविधता कार्यक्रम** आरम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ जिसके तहत 3000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाया जाएगा। किसानों को समूहों में संगठित कर उन्हें अनाज की फसलों से सब्जी उत्पादन की ओर मोड़ा जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मशरूम को भी कृषि गतिविधि ही माना जाएगा।

29. मैं **"मुख्य मन्त्री आदर्श कृषि गांव योजना"** शुरू करना भी प्रस्तावित करता हूँ। इसके अन्तर्गत राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत के हिसाब से 68 पंचायतों के लिए कृषि विकास योजना तैयार की जाएगी। प्रत्येक चुनी हुई पंचायत को कृषि सम्बन्धी अधोसंरचना की कमी को पाटने के लिए ₹10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। प्राप्त किये गए परिणामों के आधार पर यह योजना अन्य पंचायतों में भी लागू की जा सकती है।

30. हमारी सरकार जैविक खेती को जैविक गांवों के माध्यम से बढ़ावा देगी। मैं 2000 हैक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अन्तर्गत लाना प्रस्तावित करता हूँ। वर्ष 2013–14 में किसानों को राज्य में ही जैविक खेती प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए "जैविक प्रमाणिक एजेन्सी'' की स्थापना की जाएगी।

31. मैं, लाखों लघु और सीमान्त किसानों को राहत देने हेतु खरीफ की फसल पर मक्की, धान एवं चारे के उन्नत बीजों पर किसानों को 50 प्रतिशत सबसिडी देने की घोषणा करता हूँ।

32. हमारी सरकार आधुनिक थोक बिक्री मंडियों, उप–मंडियों और कोल्ड स्टोर के माध्यम से विपणन को बढ़ावा देगी ताकि किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिल सके और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। उपज के सही विपणन के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में ₹20 करोड़ की लागत से 7 उप–मंडियों का निर्माण करवाया जाएगा।

33. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि कृषि के उद्देश्य के लिए ट्रैक्टरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा ताकि किसान टोकन टैक्स की छूट का लाभ ले सकें।

34. फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और बी0पी0एल0 परिवारों के खेतों की मेढ़ों पर शीघ्र बढ़ने वाले उपयोगी पेड़ों व झाड़ियों की बाड़ लगाने के कार्य को हम मनरेगा के तहत् करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यह घोषणा करता हूँ कि पशुओं को चिन्हित करने की प्रक्रिया को पुनः आरम्भ किया जाएगा और जो लोग अपने अवारा पशुओं को खुले में छोड़ देते है उन्हें उपयुक्त दण्ड दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, 1996 की धारा 11–ए के अन्तर्गत पंचायतों की जुर्माना लगाने की शक्तियों का विस्तार किया जाएगा। इसी तरह का संशोधन नगर निगम अधिनियम में भी लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि प्रत्येक जिले की एक पंचायत को जो पूर्णतः अवारा पशु मुक्त हो यानि जिस पंचायत के सभी पंजीकृत पशु सम्बन्धित परिवारों के पास ही हों और उन्हें कहीं छोड़ा नहीं गया हो, को ₹5 लाख का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मैं यह भी

घोषणा करता हूँ कि गैर सरकार संस्थाएं/ट्रस्ट जो गौशाला चलाने के लिए आगे आएंगे उन्हें गौशाला निर्माण व चारा इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मैं इसके लिए 2013–14 में ₹1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। मैं कृषि के विकास के लिए ₹353 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

35. अध्यक्ष महोदय, बागवानी की लोगों के जीविकोपार्जन में अहम भूमिका है क्योंकि यहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितयों व छोटी जोतों के कारण पारम्परिक फसलें अधिक लाभकारी नहीं हैं। फलों की फसलों विशेषतयः सेब और आम पर मौसम की मार अधिक पड़ती है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना 2013–14 में भी लागू रहेगी जिसमें 25 प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। बागवानी

36. फसलोपरान्त होने वाली क्षति की चुनौती के समाधान हेतु किन्नु, माल्टा, आम, सेब और संतरे आदि फलों के लिए हम निजी उद्यमियों को इंटिगरेटिड कोल्ड चेन, श्रेणीकरण, फल विधायन तथा पैकेजिंग उद्योग में निवेश हेतु प्रोत्साहित करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उद्यमियों को सस्ती दरों पर सरकारी जमीन लीज पर मुहैया करवाएंगे।

37. पुराने सेब पौधों के स्थान पर उन्नत किस्म के सेब पौधे लगाने के उद्देश्य से **ऐप्पल रिजुविनेशन प्रोजेक्ट** को आरम्भ किया गया है। लेकिन इसके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए क्योंकि इसमें पुराने पौधों को उखाड़ने के व्यय का प्रावधान नहीं है। अब इसके लिए प्रावधान कर नई निर्देशिका जारी की जाएगी ताकि सेब उत्पादक अपने बागीचों को पुनर्जीवित कर सकें ।

38. मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब, आम, किन्नु, माल्टा और गलगल के प्रापण मूल्यों में 50 पैसे की वृद्धि की जाएगी। इससे राज्य के लाखों किसानों व बागवानों को लाभ होगा।

39. पिछली सरकार ने सेब की फसल को ओलों से बचाने के लिए एन्टी हेल गन की स्थापना की गलत परिकल्पना की। यह किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित नहीं होने के कारण नितान्त निष्फल साबित हुई। सेब की फसलों को ओलों से प्रभावी बचाव को सुनिशिचित करने के लिए मैं, घोषणा करता हूँ कि हमारी सरकार बागवानों को अच्छी गुणवत्ता वाले एन्टी हेल नेट 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाएगी। मैं बागवानी विकास के लिए ₹165 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

पशुपालन

40. अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग की ग्रामीण आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है। पालमपुर में **"दी मल्टी डिस्पलेनरी वेटनरी सर्विसिज एण्ड फार्मर केपेसिटी बिल्डिंग सेन्टर"** और ₹3 करोड़ की लागत से स्थापित भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, वर्ष 2013–14 से कार्य करना आरम्भ कर देगी, जिससे प्रदेश में पशुओं की नस्ल में सुधार आएगा तथा दूध उत्पादन में बढ़ौतरी होगी।

41. ज्यूरी (शिमला), ताल (हमीरपुर) तथा सरोल (चम्बा) में स्थित भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 2000 बकरी प्रति कलस्टर के हिसाब से, 20 कलस्टरों को फीड सप्लीमेन्ट, दवाईयां और रोग प्रतिरोधक टीके प्रदान किए जाऐंगे। राज्य के कर्मचारियों एवं किसानों के प्रशिक्षण के लिए आवासीय सुविधा के साथ अन्य सुविधाओं से लैस एक प्रशिक्षण संस्थान घणाहट्टी (शिमला) में स्थापित किया जाएगा जिस पर ₹1 करोड़ 75 लाख की लागत आएगी।

42. डेयरी फार्मिंग को स्वरोजगार के रूप में अपनाने के लिए हिमाचल प्रदेश एक उपयुक्त स्थान है। मैं, डेयरी गतिविधियों को और

बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिल्कफैड द्वारा प्रापण किए जा रहे दूध का प्रापण मूल्य 1 अप्रैल 2013 से ₹17.80 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹18.80 प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश में लगभग 37 हजार दूध उत्पादक परिवारों को लाभ मिलेगा। मिल्कफैड को सहायता स्वरूप मैं, इसके अनुदान को वर्ष 2012–13 के ₹11 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2013–14 में ₹13.5 करोड़ करने की प्रस्तावना करता हूँ। मैं पशुपालन के विकास के लिए ₹260 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

43. हिमाचल में लगभग 10 हजार मछुआरों के परिवार हैं। राज्य सरकार बैकयार्ड फिश फार्मिंग के नाम से नई परियोजना आरम्भ करेगी जिसके अन्तर्गत मछली उत्पादन के लिए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। सरकार ट्राऊट मछली फार्म स्थापित करने के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवायेगी। राज्य के जलाशयों के समीप इन–लैन्ड फिश लैन्डिंग सैन्टर के जीर्णोद्धार के लिए ₹1.90 करोड़ व्यय किए जाएंगे। मत्स्य पालन

44. अध्यक्ष महोदय, राज्य में बहुत–सा वन क्षेत्र लैंटाना नामक झाड़ियों से ग्रसित है। जिससे भूमि तथा लोगों की आजीविका पर कुप्रभाव पड़ता है। हमने 2013–14 में 5000 हैक्टेयर वन भूमि को लैंटाना मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। लैंटाना मुक्त भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु इस पर ईंधन व चारे की प्रजातियों का पौधारोपण किया जाएगा। वन एवं वन्य जीवन

45. प्रदेश की औषधीय जड़ी–बूटी सम्पदा को अवैध दोहन से बचाने की तथा इसके वैज्ञानिक प्रबन्धन की आवश्यकता है, ताकि लोगों की आय मे वृद्धि हो सके। वर्ष 2013–14 में प्रदेश में 45 लाख औषधीय पौधे रोपित करने के लिए मैं ₹10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ ।

46. वन्य अभ्यायरण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रभावित गाँवों को वन्य प्राणीक्षेत्र से बाहर करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। मुझे माननीय सदन को बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हमारी याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। तदानुसार 775 गांवों को वन्य अभ्यारण क्षेत्रों से बाहर कर दिया जाएगा जिससे एक लाख से भी अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

47. बंदरों द्वारा कृषि एवं बागवानी की फसलों को नुकसान एक बड़ी समस्या बन गई है। हमारी सरकार बंदरों की समस्या से परिचित है और इसके समाधान के लिए उचित कदम उठाएगी। वर्तमान में राज्य में बन्दरों के लिए चार नसबन्दी केन्द्र काम कर रहे हैं। मैं वर्ष 2013–14 में 6 नए नसबन्दी केन्द्र सिरमौर, चम्बा, मण्डी, सोलन, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों में स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ। बन्दर वनों से बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें वहां आहार नहीं मिलता। इसलिए हम वनों में फलदार पौधे तथा झाड़ियां उगाने का एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ करेंगे जिससे उन्हें प्राकृतिक निवास पर ही पर्याप्त आहार मिल सके। फलदार पौधे किसानों द्वारा स्थापित नर्सरियों से खरीदे जाएंगे। इसके अलावा हम लहसुन, अदरक और हल्दी जैसी फसलें जिन्हें बंदर नुकसान नहीं पहुँचाते, किसानों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

48. जंगलों को आग से बचाने के उद्देश्य से हमने 1000 किलोमीटर पुरानी फायर लाईनों की सफाई एवं रख–रखाव का लक्ष्य रखा है। हम चीड़ की पत्तियों को एकत्रित करने व उन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग हेतु उद्योगों को आपूर्ति करने तथा प्रदेश में चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योग लगाने के लिए नीति बनाएंगे। मैं, वन विभाग के लिए 2013–14 में ₹422 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

49. प्रदेश की ग्रामीण जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा ₹35 करोड़ की लागत से जिला हमीरपुर, बिलासपुर व सिरमौर में सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ करने हेतु एकीकृत सहकारी विकास परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। हम शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए नई एकीकृत सहकारी विकास परियोजना आरम्भ करेंगे जिस पर लगभग ₹60 करोड़ के व्यय का अनुमान है। सहकारिता

50. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत राज्य की प्रत्येक पंचायत को निर्मल पंचायत बनाने के लिए कृतसंकल्प है। हम यह भी सुनिशिचित करेंगे कि सभी सरकारी स्कूलों में छात्र व छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय हों। इन शौचालयों का निर्माण **महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना** के अन्तर्गत करवाया जाएगा। मैटीरियल कम्पोनेन्ट में जो भी निधि का अन्तर होगा उसे राज्य सरकार के धन से पूरा किया जाएगा। ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज

51. अध्यक्ष महोदय, हमने अपने पिछले कार्यकाल में राज्य में राजीव आवास योजना चलाई थी परन्तु 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना का नाम बदल दिया। अब मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस योजना का नाम पहले की तरह राजीव आवास योजना ही रहेगा तथा इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान को ₹48500 से बढ़ाकर ₹75000 किया जाएगा। राज्य में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत 2013–14 में 10,000 गृह स्वीकृत किए जाएंगे।

52. विकास कार्यों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में विकास खण्ड अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार की सी0यू0जी0 स्कीम के अन्तर्गत मोबाईल फोन के प्रयोग के लिए ₹350 द्विमाही प्रतिपूर्ति करने की घोषणा करता हूँ।

53. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायत घर प्रत्येक कार्यदिवस पर खुले रहें, मैं घोषणा करता हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष में 200 नये पंचायत सहायकों की भर्ती की जाएगी ताकि प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सहायक अथवा पंचायत सचिव उपलब्ध हो।

54. राज्य सरकार राज्य की प्रत्येक पंचायत में पंचायत घर के लिए उचित आवास सुविधा दिलाने के लिए कृतसंकल्प है इसलिए उन ग्राम पंचायतों में जहां पंचायत घर नहीं है या जिनमें अपर्याप्त आवास सुविधा है, उनमें राजीव सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा।

55. राज्य सरकार निचले स्तर तक लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए पंचायती राज संस्थानों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। चौथे राज्य वित्तायोग की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है तथा मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने इसकी सिफारिशों को मान लिया है। हम पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2013–14 में विभिन्न स्त्रोतों से ₹244 करोड़ की राशि उपलब्ध करवायेंगे।

56. मेरे ध्यान में यह आया है कि बी0पी0एल0 सूचियों में बहुत से पात्र व्यक्ति छूट गये हैं और कुछ अपात्र व्यक्ति इस में आ गये हैं। सही सूचियाँ बनाना सुनिश्चित करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि 7 अप्रैल को होने वाली ग्रामसभा की बैठकों में बी0पी0एल0 सूचियों में परिवर्द्धन एवं परिवर्तन किया जाएगा।

जलागम विकास

57. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल में लोगों की आर्थिकी एवं जीविका मुख्यतः कृषि एवं बागवानी पर निर्भर करती है। इसके लिए भू–संरक्षण एवं भूमि में नमी होना बहुत आवश्यक है। जलागम विकास इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायता करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम 3300 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाऐंगे जिस पर ₹105 करोड़ की लागत आएगी।

हम किसानों को अपनी भूमि पर सिंचाई के लिए पानी के टैंक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मध्यम हिमालय जलागम विकास परियोजना को राज्य के मध्यम पर्वतीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत 102 और पंचायतें लाई जा रही हैं जिस पर ₹175 करोड़ व्यय होंगे ।

58. अध्यक्ष महोदय, राज्य में जमाबन्दियों के कम्प्यूट्रीकरण का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है। अगले वर्ष हम 4 जिलों चम्बा, सिरमौर, मण्डी और हमीरपुर में मुसाबियों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लेंगे ताकि लोगों को जमाबन्दी की प्रतिलिपि के साथ–साथ मुसाबी की भी कम्प्यूट्रीकृत प्रतिलिपि उपलब्ध हो सके। भू–प्रशासन

59. राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सिरमौर, मण्डी और हमीरपुर में नई तकनीकों से सर्वेक्षण किया जा रहा है। हम आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 अन्य जिले कांगड़ा, किन्नौर, शिमला और ऊना को लाऐंगे जिस पर ₹25 करोड़ की लागत आएगी।

60. प्रदेश के 9 जिलों में स्टाम्प ड्यूटी को एकत्रित करने के लिए ई–स्टैम्पिंग प्रणाली आरम्भ की गई है। वर्ष 2013–14 में हम शेष 3 जिलों लाहौल स्पिति, किन्नौर और चम्बा में भी यह प्रणाली आरम्भ करेंगे। पंजीकरण शुल्क भी इसी प्रणाली से एकत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार अगले वर्ष से कोर्ट फीस स्टाम्प के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक जनरेटिड स्टाम्पस को प्रयोग में लाना प्रस्तावित करती है। इन उपायों से लोगों को अपने दस्तावेजों के पंजीकरण में बहुत सुविधा मिलेगी।

61. तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की आपातकालीन स्थितियों में दिन–रात सेवा को ध्यान में रखते हुए, मैं उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार की CUG स्कीम के अन्तर्गत मोबाईल फोन के प्रयोग के लिए ₹350 द्विमाही प्रतिपूर्ति करने की घोषणा करता हूँ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

62. लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना तथा किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना प्रदेश सरकार की सदैव प्राथमिकता रही है। हाल की जनगणना के अनुसार प्रदेश की 89.5 प्रतिशत जनसंख्या को नलों द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है जो सभी राज्यों से ज्यादा है। 53201 बस्तियों में से 44254 बस्तिओं को 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। मैं, वर्ष 2013–14 में 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2500 अतिरिक्त बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित करता हूँ। हम अगले वित्तीय वर्ष में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 2000 हैंडपम्प लगाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाएंगे।

63. अध्यक्ष महोदय, बिजाई क्षेत्र का कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई के तहत् लाने के लिए हम पंचवर्षीय कार्य योजना बनाएंगे ताकि किसानों को कृषि से अच्छी आमदनी हो और उनका जीवन निर्वाह हो सके। राज्य सरकार इस बात पर जोर देगी कि जितनी सिंचाई क्षमता पैदा की गई है उसका असली लाभ किसानों को मिले। मैं, command area development के लिए ₹20 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ जिसे वास्तविक मांग अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। मैं, 2013–14 में फिना सिंह, मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा के लिए ₹55 करोड़ तथा मध्यम सिंचाई परियोजना नादौन के लिए ₹35 बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। हम कांसिल से जहरेरा, मनडोप–थोना से सतयार खड्ड तथा जिला कांगड़ा में सुक्का हार के लिए मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य आरम्भ करेंगे। मैं, लघु सिंचाई के लिए 2013–14 में 3000 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए ₹138 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

64. जिला मण्डी, हमीरपुर तथा बिलासपुर की कीमती कृषि योग्य भूमि को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए सीर खड्ड का चरणबद्ध तरीके से तटीयकरण किया जाएगा। पहले चरण में जाहू से जिला

बिलासपुर के बम्म क्षेत्र तक तटीयकरण के लिए ₹23 करोड़ की डी0पी0आर0 का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। दूसरे चरण में बरछ्वाड से जाहू तक सीर खड्ड के तटीयकरण की ₹62 करोड़ की डी0पी0आर0 तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में जिला ऊना में सन्तोखगढ़ पुल से पंजाब सीमा तक स्वां नदी के तटीयकरण के लिए तीसरे चरण में ₹48 करोड़ की डी0पी0आर0 तथा जिला कांगड़ा की तहसील इन्दौरा में छोंच खड्ड के तटीयकरण हेतु ₹236 करोड़ की डी0पी0आर0 केन्द्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन है। मैं, सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग के लिए वर्ष 2013–14 में ₹1483 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

65. अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 2006 में जल–विद्युत दोहन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति बनाई थी। मुझे माननीय सदन को यह बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को वर्ष 2013–14 में मुफ्त बिजली का 1 प्रतिशत भाग पहली बार मिलेगा। प्रदेश में 23000 मैगावाट की जल–विद्युत क्षमता आंकी गई थी जो अब परामर्शदाताओं के अद्यतन अध्ययन के बाद 27436 मैगावाट आंकी गई है। हम इस अतिरिक्त जल–विद्युत क्षमता के दोहन हेतु उचित कदम उठायेंगे। ऊर्जा

66. प्रदेश में अब तक 8375 मैगावाट विद्युत क्षमता का दोहन हुआ है। मार्च 2013 तक 260 मैगावाट और विद्युत क्षमता का दोहन कर लिया जाएगा। वर्ष 2013–14 के लिए 1918 मैगावाट विद्युत का दोहन का लक्ष्य है। मैं इस प्रगति से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं अपनी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा करता हूँ, जो प्रदेश में लगने वाले माइक्रो, मिनि और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विभिन्न विभागों से वांछित कानूनी अनुमतियां शीघ्र दिलवाने तथा परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करवाएगी।

67. हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेश्न लिमिटिड को वर्ष 2017 तक 1111 मैगावाट और वर्ष 2022 तक 2400 मैगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य दिया गया है। काशंग परियोजना का चरण–1 अगले वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जाएगा।

68. समस्त उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे भरोसेमंद एवं गुणात्मक बिजली उपलब्ध करवाने के लिए, वितरण नेटवर्क को, 66 के0वी0 या इससे ऊपर क्षमता वाली 20 उच्च वोल्टेज लाईनों को चालू कर सुदृढ़ किया जाएगा। इस पर ₹207 करोड़ का व्यय होगा। इसी तरह 33 के0वी0 की क्षमता वाली 55 वितरण लाईनों का कार्य आगामी वर्ष में आरम्भ कर दिया जाएगा जिस पर ₹156 करोड़ व्यय होंगे। जल विद्युत उत्पादकों को सांझा संचारण लाईनों की व्यवस्था बनाने तथा भूमिगत लाइनें बिछाने की सम्भावनाएं तलाशने को कहा जाएगा ताकि कीमती भूमि को खराब होने से बचाया जा सके।

69. प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटिड की महत्वपूर्ण भूमिका है। सत्ता सम्भालते ही हमने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटिड के financial restructuring के लिए ₹700 करोड़ के ऋण की अदायगी की जिम्मेवारी सरकार द्वारा अपने ऊपर लेने की सहमति दी है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि अगले वर्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटिड को ग्रामीण विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए ₹75 करोड़ की इक्विटी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मैंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ऊर्जा व्यय को अदा करने के लिए ₹230 करोड़ का प्रावधान किया है ताकि प्रदेश के लोगों को बेहद रियायती दर पर पीने का पानी और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त मैं निजि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली

पर सबसिडी के लिए ₹270 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

70. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सदैव सुनियोजित औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी है परन्तु हिमाचल प्रदेश में विशेष औद्योगिक पैकेज के समाप्त हो जाने से, राज्य में निवेश धीमा पड़ गया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज को बढ़ाने का मामला उठाया है। उद्योग

71. ऊना, सोलन और कांगड़ा जिलों में 3 आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। राज्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तीन माह के अन्दर एक विजन डाकुमैन्ट व रोड़ मैप तैयार किया जाएगा। हम प्रदेश में फूड पार्कस स्थापित करने को भी प्रोत्साहन देंगे। सुरक्षा वातावरण को सुधारने के लिए औद्योगिक इकाईयों में भुगतान पर गृह रक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

72. ₹80 करोड़ की अनुमानित लागत से बद्दी में फार्मा एवं समवर्गी उद्योग समूह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। बद्दी में टूल रूम व ट्रेनिंग सैंटर स्थापित किया जाएगा जिसके लिए 15000 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर दी गई है। टूल रूम के स्थापित होने से उद्योग जगत को टूलिंग सुविधा तो प्राप्त होगी ही साथ में बेरोज़गार युवकों के कौशल वृद्धि में भी सहायता मिलेगी।

73. औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार खुद पहल करेगी और **'निमन्त्रण द्वारा उद्योग'** की नीति को जोर–शोर से अपनाएगी। राज्य सरकार विशेष निवेशकर्ता बैठकें आयोजित कर सम्भावित निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करेगी।

74. राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को समय पर वांछित अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने के लिए, विद्यमान ढांचे को सशक्त करेगी। एकल खिड़की प्रणाली तथा अनुश्रवण समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने से 90 दिन के भीतर उद्यमियों को सारी अनुमतियां सुनिशिचित की जाएंगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाए जाएंगे जिसमें विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से अनुमति देना सुनिश्चित किया जाएगा ।

75. अध्यक्ष महोदय, देश के बहुत से राज्य अंतर्राज्य व्यापार पर 2 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर लगाते हैं। मैं, राज्य में विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को 1 अप्रैल, 2013 से 1.5 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर प्रस्तावित करता हूँ। इसके अतिरिक्त राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2013 के पश्चात् स्थापित इकाईयों पर रियायती दर से केवल 1 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर लगाने की घोषणा करता हूँ। यह रियायत substantial expansion करने वाली औद्योगिक इकाईयों पर भी लागू होगा । यह रियायत 5 वर्ष तक या GST क्रियान्वित हो जाने तक लागू रहेगी।

परिवहन

76. अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री ग्रामीण परिवहन योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को ग्रामीण सड़कों पर बसें चलाने के लिए रूट परमिट दिए जाऐंगे। वर्ष 2013–14 में हम परमिट प्रदान करने के लिए नए रूटों की पहचान करेंगे। हम मैक्सी कैब के परमिट प्रदान करने में उदारता बरतेंगे। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं बढ़ेंगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

77. सरकार औद्योगिक क्षेत्रों और सीमेंट कारखानों के समीप पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में परिवहन नगर बनाने के लिए उपयुक्त

भूमि का चयन करेगी। इन नगरों में गाड़ियों की पार्किंग, मुरम्मत कार्यशाला और भोजनालय इत्यादि अनेकों सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं खण्ड एवं उप–मण्डल मुख्यालयों पर बस अड्डों के निर्माण एवं उन्हें स्तरोन्नत करने के लिए ₹10 करोड़ की राशि का बजट प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।

78. हिमाचल पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति समय के साथ कमजोर हो गई है । इसलिए मैं वर्ष 2013–14 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को ₹160 करोड़ की इक्विटी तथा अनुदान प्रदान करना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के आधुनिकीकरण का प्रोजेक्ट वित्तपोषित करने के लिए मल्टी लेटरल ऐजेन्सियों से उठाया जाएगा।

79. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने सदैव ही सड़कों को उच्च प्राथमिकता दी है। परिणामस्वरूप प्रदेश में 32771 कि0मी0 मोटर योग्य सड़कें बन चुकी हैं जबकि हिमाचल बनने के समय प्रदेश में मात्र 288 कि0मी0 सड़कें थी। वर्तमान में प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं जिनकी लम्बाई 1553 कि0मी0 है। हमने आठ अतिरिक्त सड़कों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। सड़कें एवं पुल

80. हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में मुख्य सड़कों को सुधारने के लिए विश्व बैंक से ₹1365 करोड़ का स्टेट रोड़ प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया था। परन्तु मुझे यह देख कर दुःख होता है कि इसमें सड़क निर्माण की गति बड़ी धीमी रही तथा कई सड़कों की दशा पहले से भी बदतर हो गई है। हमारी सरकार यह सुनिशिचित करेगी कि इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों का निर्माण समयबद्ध तरीके से हो और गुणवत्ता भी बनी रहे। हम राज्य के शेष उच्च मार्गों एवं जिला

की मुख्य सड़कों को सुधारने के लिए मल्टीलेट्रल फण्डिंग एजेन्सीज़ से और सहायता प्राप्त हेतु प्रयास करेंगे। दूरियों को कम करने के उद्देश्य से चामुण्डा से होली, करसेहर से तेंलग (भूब्बूजोत), तीसा से किलाड़ (चैणी पास–पांगी) और जलोड़ी जोत (जिला कुल्लू) में सुरंगों के निर्माण हेतु पैसा जुटाने के लिए हम मल्टीलेट्रल फण्डिंग एजेन्सीज से मामला उठाएंगे।

81. विश्व बैंक पोषित प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में आरम्भ की गई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश के लिए ₹1182 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। अभी तक ₹230 करोड़ की लागत से 177 सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य को और निधि उपलब्ध करवा सकती है परन्तु मुख्य समस्या यह है कि लोग इस योजना के मापदण्डों अनुसार भूमि दान नहीं कर रहे हैं। मैं इस माननीय सदन के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रभाव से लोगों को सड़क निर्माण के लिए भूमिदान करने हेतु प्रेरित करें जिससे भारत सरकार से मिलने वाले इस शत–प्रतिशत अनुदान को सड़क निर्माण में उपयोग कर सड़क से न जुड़े हुए गांवों को भी सड़क से जोड़ा जा सके।

82. ऐसा देखने में आया है कि बहुत से सड़क निर्माण कार्य वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण लटके रहते हैं। मैंने वन विभाग को एफ0सी0ए0 क्लीयरैन्स अति शीघ्र प्राप्त करने के आदेश दिए हैं और उन्हें इस बारे मेरे कार्यालय को नियमित रूप से रिपोर्ट देने को कहा है।

83. वर्ष 2013–14 में प्रदेश में 475 कि0मी0 लम्बी मोटर योग्य और 40 कि0मी0 जीप योग्य सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित

किया गया है। इसके अतिरिक्त 620 कि0मी0 सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज बनाए जाऐंगे और 570 कि0मी0 सड़कों की मैटलिंग तथा टारिंग की जाएगी। प्रदेश में 80 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा तथा 35 पुलों का निर्माण किया जायेगा। मैं लोक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2013–14 में ₹2291 करोड़ के बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

84. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सतत् विकास का आदर्श बने, इसके लिए सरकार का सदैव प्रयास रहेगा। हमें विश्व बैंक से ₹549 करोड़ का विकास नीति ऋण प्राप्त हुआ है। विश्व बैंक ने यह राशि भारत सरकार को ऋण के रूप में दी है परन्तु हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने इसका 90 प्रतिशत भाग यानि ₹495 करोड़ राज्य सरकार को अनुदान के रूप में दिया है। हम 2013–14 में विश्व बैंक से ₹500 करोड़ अतिरिक्त क्लीन टैक्नोलोजी फण्ड के तहत ऋण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

85. सरकार में पारदर्शिता लाने व सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से जी0आई0एस0 तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2013–14 में सभी मुख्य विभाग अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए स्थानीक और भू–स्थानीक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए GIS applications विकसित करेंगे।

86. अध्यक्ष महोदय, आबकारी एवं कराधान विभाग राज्य का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। हम न केवल राजस्व वृद्धि के लिए विभिन्न पग उठाएंगे बल्कि विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को सुविधाऐं भी देंगे। आबकारी एवं कराधान

87. राज्य सरकार ने एक करोड़ से अधिक बिक्री करने वाले पंजीकृत विक्रेताओं को ई–रिटर्न, ई–डेक्लेरेशन, ई–टैक्स पेमेन्ट और

सी एण्ड एफ फार्म जारी करने की सुविधा सफलतापूर्वक प्रदान की है। अब, मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि उक्त सुविधाएं 40 लाख यह इससे अधिक बिक्री करने वालों को भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। वे इन सेवाओं को अपनी दुकानों या कार्यालयों में ही प्राप्त कर सकेंगे तथा उन्हें आबकारी एवं कराधान विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि व्रिकेताओं को पहली अप्रैल, 2013 से मासिक/त्रैमासिक रिटर्नज की वास्तविक प्रतियां प्रस्तुत नहीं करनी होगी। केवल वार्षिक रिटर्न की प्रति ही प्रस्तुत करनी होगी। इस परिवर्तन से उनके समय व ऊर्जा की काफी बचत होगी। विक्रेताओं को इन सेवाओं के बारे SMS व ई–मेल द्वारा भी सूचित किया जाएगा।

88. ई–सर्विसिज़ के माध्यम से हम प्रदेश में आबकारी विभाग के लाईसैन्स धारकों को पास व परमिट जारी करना आरम्भ करेंगे। इससे लाईसैन्स धारक, आबकारी विभाग के कार्यालय में जाए बिना अपने परिसर में ही परमिट प्राप्त कर सकेंगे।

89. मैं यह घोषणा करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, यात्री एवं वस्तु कर अधिनियम तथा विलास कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क को समाप्त किया जाएगा ताकि नये व्यापारियों के पंजीकरण में शीघ्रता लाई जा सके। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि भविष्य में कर की दरों का कोई भी परिवर्तन माह के प्रथम दिवस से लागू किया जाएगा न कि माह के मध्य में ताकि विक्रेताओं को कर की दर एवं अवधि की सही गणना करना सुलभ हो ।

90. वैट एक्ट के अन्तर्गत वर्तमान में वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु कोई कोड नहीं है और वस्तुओं के उपुयक्त सूचक के अभाव में कर की

दरों में विवाद रहता है। मुकद्दमेबाजी से बचने के लिए और सरलीकरण के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश वैल्यु एडिड टैक्स एक्ट, 2005 की विभिन्न अनुसूचियों में दर्शाई गई वस्तुओं को सैन्ट्रल एक्साईज टेरिफ ऑफ इंडिया जहां पर वस्तु वर्गीकरण विवाद लगभग शून्य है, के अनुसार वस्तु कोड दिए जाएंगे। इस सरलीकरण से हिमाचल प्रदेश के समस्त विक्रेताओं तथा उत्पादकों को लाभ होगा।

91. वर्तमान में **हिमाचल प्रदेश वैल्यु एडिड टैक्स, 2005** तथा **सेन्ट्रल सेल्ज टेक्स एक्ट, 1956** के अन्तर्गत बहुत संख्या में मामले कर निर्धारण हेतु लम्बित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि एक वर्ष में निर्धारण अधिकारी के द्वारा कर निर्धारण के लिए मामलों का सांयोगिक चयन किया जाएगा। शेष मामले, जिनमें पूर्ण विवरणियां प्रस्तुत की गई हों तथा कर जमा करवाया गया हो, को व्यापारियों के हित में कर निर्धारित समझा जाएगा।

92. मैंने अपने पिछले कार्यकाल में **हिमाचल प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड** का गठन किया था। विगत पांच वर्षों में इस बोर्ड की कोई भी बैठक नहीं हुई। मैं इस बोर्ड को पुनः बहाल करने की घोषणा करता हूँ ताकि व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाया जा सके।

93. वर्तमान में जूते एवं चप्पल पर दो तरह की कर दर है। कुछ पर 5 प्रतिशत तो कुछ पर 13.75 प्रतिशत वैट वसूल किया जा रहा है। जूते/चप्पल व्यापारियों ने अनुरोध किया है कि सरलीकरण और कर संग्रहण में वृद्धि के उद्देश्य से समस्त वर्गों के चप्पल/जूतों पर एक समान दर निर्धारित की जाए। मैं उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह घोषणा करता हूँ कि भविष्य में चप्पल/जूतों पर एक समान 9 प्रतिशत कर लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

पर्यटन

94. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि शिमला, भुंतर व कांगड़ा में हवाई उड़ानों को प्रोत्साहित करने के लिए एवियेशन टरबाइन फ्यूल पर वैट दर को 5 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

95. अध्यक्ष महोदय, पन बिजली परियोजनाओं के बनने से जो जलाशय बने हैं उनमें जलक्रीड़ा और अन्य मनोरंजनात्मक गतिविधियों की अपार सम्भावनाएं हैं। हम पर्यटक के अनुभव में विविधता लाने के लिए, कश्मीर और केरल की तर्ज पर इन जलाशयों में हाऊस बोट स्थापित करने का प्रयास करेंगे। राज्य में साहसिक लम्बी दौड़ें जिसमें कार रैली, साईकलिंग, रिवर राफ्टिंग, क्रॉस कन्ट्री आदि शामिल होंगे, को आरम्भ किया जाएगा जिसमें समस्त परिवार भाग ले सकेंगे।

96. अध्यक्ष महोदय, स्थानीय युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु हम एक हजार युवाओं को टूरिस्ट गाइड तथा 3900 युवाओं को ड्राईविंग का प्रशिक्षण देंगे। होम–स्टे योजना से जुड़े मकान मालिकों को आतिथ्य सत्कार का प्रशिक्षण भी देंगे।

97. हमारी सरकार पिछड़ी पंचायतों में, जहां पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं, नए होटल खोलने और अन्य पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने को प्रोत्साहित करेगी। मैं यह घोषणा करता हूँ कि पिछड़ी पंचायतों में खुलने वाले होटलों के लिए एच0पी0 टैक्स आन लग्जरीज एक्ट, 1979 के अन्तर्गत विलासिता कर को होटल आरम्भ होने की तिथि से दस वर्षों के लिए पूरी तरह से छूट दी जाएगी।

प्रारम्भिक शिक्षा

98. शिक्षा सदैव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है। परिणामस्वरूप हमारे राज्य ने साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति की है

और हमारी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 83.78 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मैंने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में स्कूल आने और जाने के लिए 1 अप्रैल, 2013 से निःशुल्क बस सेवा की घोषणा पहले ही कर दी है। पिछली सरकार द्वारा बंद/अनुसूचित की गई 149 पाठशालाओं को हमने दोबारा खोलने/स्तरोन्नत करने के आदेश दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश में काफी संख्या में पाठशालाएं खोली हैं। राज्य में बच्चों का भर्ती दर राष्ट्र में सर्वोपरि भर्ती दरों में एक है। परन्तु बच्चों के शिक्षा स्तर में गिरावट चिन्ता का विषय है। हमारी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर बल देगी जिसके लिए सही पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और अध्यापकों को सेवा के दौरान नियमित प्रशिक्षण तथा शिक्षा स्तर के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। शिक्षण को बच्चों के अनुरूप गतिविधि आधारित बनाया जाएगा। स्कूल प्रबन्धन समितियों को अध्यापकों की उपस्थिति जांचने की शक्तियां दी जाएंगी। विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए मैं, यह घोषणा करता हूँ कि सरकार शिक्षा के अधिकार कानून में राज्य संशोधन का प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाएगी जिसमें भारत सरकार से पांचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षा करवाने की अनुमति मांगी जाएगी।

99. पी0 टी0 ए0 द्वारा नियुक्त अध्यापक दूर–दराज़ के क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछली सरकार ने उन्हें बहुत तंग किया। बहुत से पी0 टी0 ए0 अध्यापकों को उनके स्थान पर कुछ समय के लिए नियमित अध्यापक भेज कर नौकरी से बाहर कर दिया। हमने पिछली सरकार द्वारा हटाए गए सभी पात्र पी0 टी0 ए0 अध्यापकों को पुनः नौकरी पर रखने के आदेश जारी किए हैं। हम पी0 टी0 ए0 अध्यापकों के लिए नीति बनाएंगे। पी0 टी0 ए0 अध्यापक जिस पद पर आसीन है उसे भरा हुआ समझा जाएगा तथा वहां कोई अन्य अध्यापक नहीं भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं, पी0 टी0 ए0 ग्रांट प्रवक्ताओं

को ₹7250 से ₹10875 टी0जी0टी0 को ₹6950 से ₹10425 और सी0 एण्ड वी0 को ₹6750 से ₹10125 बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। इससे इन अध्यापकों को ₹20 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।

माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा

100. अध्यक्ष महोदय, हम माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी गुणवत्ता लाने की मुहिम जारी रखेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा की अधोसंरचना को सुधारने पर ध्यान देंगे। मैं, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए भवन निर्माण इत्यादि के लिए वर्ष 2013–14 के लिए ₹63 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश के महाविद्यालयों तथा हिमाचल विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए पाठ्यक्रम में वृहद् रूप से बदलाव लाया जाएगा तथा इसे स्तरोन्नत किया जाएगा। पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि विद्यार्थियों को रोज़गार मिलने में सहायता मिले। अध्यापन दिवसों को बढ़ाकर 180 दिन किया जाएगा।

101. सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, सीखने की प्रक्रिया को रोचक, आसान और परस्पर वार्तालापी बनाती है। इसलिए मैं सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 618 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और 837 उच्च पाठशालाओं में स्मार्ट क्लास रूम आरम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ। वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम्प्यूटर में उपलब्ध रहेगा और प्रोजेक्टर की सहायता से कक्षा में पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा।

102. मैं, वर्ष 2013–14 में 100 नई वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ। नेशनल वोकेश्नल एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क योजना के अन्तर्गत 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल, रिटेल, सिक्योरिटी तथा आईटी के 4 कोर्स चलाए जाएंगे।

103. मुझे यह घोषणा करते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से उत्तीर्ण दसवीं और वारहवीं कक्षा के 5,000 मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत् नेट बुक्स/टेबलेट्स दिए जाऐंगे जिससे सिखाने व सीखने की गतिविधियों को बल मिलेगा।

104. राज्य के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं यह घोषणा करता हूँ कि IIT, IIM, और AIIMS में प्रवेश पाने पर उन्हें ₹75000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। **मैं शिक्षा विभाग के लिए ₹3836 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ, जो कि कुल बजट का 17.6 प्रतिशत है।**

105. अध्यक्ष महोदय, युवाओं को उद्योगों में रोजगार हासिल करने या स्वरोजगार में सक्षम होने के लिए जरूरी है कि उनकी कौशल वृद्धि हो जिसके लिए राज्य में तकनीकी शिक्षा का विस्तार होना आवश्यक है। इस समय राज्य में 7 जिलों में बहुतकनीकी संस्थान सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम शेष बचे 5 जिलों नामतः बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल स्पिति में भी वर्ष 2013–14 में बहुतकनीकी संस्थान चलाएंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उन सभी विधान सभा क्षेत्रों में जहां सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। तकनीकी शिक्षा

106. राज्य सरकार ने जिला बिलासपुर के बन्दला क्षेत्र में एन0टी0पी0सी0 व एन0एच0पी0सी0 की सहायता से खोले जाने वाले हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूमि का चयन कर लिया है। पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत् ऊना जिला में एक आई0आई0आई0टी0 खोला जाएगा जिसके लिए हाल ही में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष

हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कांगड़ा जिला में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

107. निजी क्षेत्र में नये तकनीकी संस्थान खोलने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उद्यमियों को सस्ती लीज दरों पर भूमि उपलब्ध करवाएगी। मैं, तकनीकी शिक्षा विकास के लिए वर्ष 2013–14 में ₹110 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

भाषा एवं सस्कृति

108. राज्य सरकार प्रदेश की कला व संस्कृति के संरक्षण व सम्बर्धन के लिए कृतसंकल्प है। हम युवकों को प्रदेश की लोक कलाओं, हस्तकलाओं व परम्पराओं में प्रशिक्षित करवाने लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ करेंगे। पहले चरण में उन्हें पहाड़ी लघु चित्र कला, चम्बा रूमाल, धातु शिल्प, काष्ठ कला को गुरू शिष्य परम्परा के तहत् सिखाया जाएगा। इससे न केवल कला व संस्कृति के संरक्षण एवं सम्बर्धन को बल मिलेगा बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

109. अध्यक्ष महोदय, बेहतर रख–रखाव व संभाल के लिए प्रदेश के विभिन्न मंदिरों को हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक संस्थान व पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की अनुसूची–1 में सम्मिलित किया गया था, परन्तु पिछली सरकार ने बिना सोचे विचारे 13 मंदिरों को इस अनुसूची–1 से बाहर निकाल दिया। हमारी सरकार ने इन मंदिरों को पुनः उक्त अधिनियम की अनुसूची–1 में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है।

110. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि विभाग से वर्तमान में मंदिरों को दी जाने वाली ग्रांट को वर्ष 2013–14 से दोगुना कर दिया जाएगा। हम पुराने मंदिरों, जो पहाड़ी शिल्प के लिए जाने जाते हैं, के पुर्नउद्धार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएंगे।

111. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार, खेल अधोसंरचना के विकास पर बल देती रहेगी। नए स्टेडियमों के निर्माण के साथ–साथ प्रदेश के विद्यमान स्टेडियमों को भी स्तरोन्नत किया जाएगा। प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए, मैं यह घोषणा करता हूँ कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि वर्ष 2013–14 में बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाएगी। परशुराम पुरस्कार विजेताओं की पुरस्कार राशि ₹50000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी जाएगी। मैं युवा सेवाएं एवं खेल के विकास हेतु वर्ष 2013–14 में ₹24 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद

112. अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं देने के लिए कृतसंकल्प है। हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सम्बन्धी बढ़िया अधोसंरचना है जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। हमारे स्वास्थ्य सूचक देश के सबसे बेहतर सूचकों में हैं। शिशु मृत्यु दर घट कर 38 रह गई है। शिशु लिंग अनुपात बढ़ कर 914 हो गया है। संस्थागत प्रसव की प्रतिशत्ता 76 तक पहुँच गई है। प्रजनन दर घट कर 1.9 तथा जन्म दर घट कर 16.9 प्रतिशत रह गई है।

113. हिमाचल बहुत–सी अनिवार्य औषधियां बनाने का केन्द्र बनकर उभरा है। साविधिक लाईसैन्स तथा प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हम औषधि निर्माताओं एवं परचून विक्रेताओं के लिए ऑन लाईन लाईसैंसिंग प्रणाली आरम्भ करेंगे ताकि उन्हें अपने परिसरों में ही लाईसैन्स प्राप्त हो जाएं।

114. राष्ट्रीय एम्बुलैन्स सेवा के विद्यमान बेड़े में 59 अतिरिक्त एम्बुलैन्स शामिल कर विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम

सरकारी अस्पतालों में प्रसव उपरान्त महिलाओं को वापस उनके घर छोड़ने के लिए एक समर्पित एम्बुलैन्स बेड़ा उपलब्ध करवाएंगे। कैंसर ग्रसित, रीढ़ की हड्डी के चोटिल तथा डायलेसिज पर रखे गए मरीजों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, उन्हें एक परिचर के साथ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त IGMC में एक नया बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा जिसमें पार्किंग व्यवस्था, बाह्य रोगी कक्ष, डॉक्टरों के बैठने के कक्ष तथा निदान सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

115. अध्यक्ष महोदय, स्नातकोत्तर अनुबन्ध चिकित्सा अधिकारियों को दुर्गम क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में स्वेच्छा से सेवा देने हेतु उन्हें अनुबन्धीय वेतन के अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रोत्साहन राशि को मैं ₹15000 से बढ़ाकर ₹25000 प्रतिमाह तथा ₹25000 से बढ़ाकर ₹40000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। मैं, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले डॉक्टरों को मिलने वाला उच्च शिक्षा भत्ता को ₹5000 से बढ़ाकर ₹7000 प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने वाले डॉक्टरों को ₹2000 से बढ़ाकर ₹3500 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।

116. प्रदेश में युवा वर्ग की स्वास्थ्य आवश्यकता को सम्बोधित करने से प्रदेश के सभी वर्गों के बेहतर स्वास्थ्य की प्रोन्नति होगी। हम गम्भीर तथा अनुवांशिक रोगों से ग्रस्त स्कूल के बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त उपचार की सुविधा प्रदान करवाएंगे।

117. प्रजनन अवस्था के किशोरों के स्वास्थ्य सुधार हेतु हमने **वीकली आयरन फॉलिक एसिड् सप्लीमेन्टेशन प्रोग्राम नामक** नयी योजना हाल ही में आरम्भ की है। **मेनुस्ट्रिउअल हाईजीन प्रोग्राम** भी प्रदेश भर में चलाया जाएगा।

118. मादक पदार्थों का सेवन देश में एक गम्भीर समस्या है जिससे समाज का न केवल वर्तमान, अपितु भविष्य भी संकट में है। उन्हें मादक पदार्थों की लत से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से हम सभी ज़िलों में Drug De-addiction Centres खोलेंगे। हम शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को मादक पदार्थों के कुप्रभावों बारे जागृत करने के लिए अभियान चलाऐंगे। लोगों को धूम्रपान से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं सिगरेट तथा सिगार इत्यादि पर वैट को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत तथा बीड़ी पर 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

119. सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करके अतिरिक्त लाभार्थियों लोगों को इस योजना के तहत् लाया जाएगा। इस योजना पर राज्य बजट से ₹10 करोड़ व्यय किया जाएगा।

120. आयुर्वेद विभाग प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग राज्य भर में किसानों को जड़ी–बूटियों की खेती करने, बढ़ाने तथा वैज्ञानिक दोहन करने बारे शिक्षित करेगा। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2013–14 में ₹1187 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

शहरी विकास

121. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है और उसी अनुपात से नागरिक सेवाओं की आवश्यकता भी बढ़ रही है। नागरिक प्रशासन, अधोसंरचना, सेवानिष्पादन तंत्र तथा शहरों में रहने वाले निर्धनों को दी जाने वाली आधारभूत सुविधाओं को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी रिनुयल मिशन नाम से एक महत्वकांक्षी योजना आरम्भ की गई है। वर्ष 2013–14 के लिए इस योजना के तहत् ₹70 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

122. हमें चौथे राज्य वित्तायोग की अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसकी सिफारिशों को हमने स्वीकार कर लिया है। वर्ष 2013–14 में शहरी निकायों के लिए कुल ₹105 करोड़ दिए जाने प्रस्तावित हैं।

123. प्रदेश के सभी शहरी निकायों द्वारा दी जा रही सेवाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से एशियन डेवेल्पमेंट बैंक से $100 million के ऋण लेने पर विचार किया जा रहा है। हम इस ऋण को स्वीकृत करवाने का पूरा प्रयास करेंगे।

महिला एवं बाल विकास

124. अध्यक्ष महोदय, हम समाज के कमजोर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली में हुए वीभत्स काण्ड ने सारे देश को हिलाकर रख दिया है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी महिला, जो विपत्ति में हो 108 नं0 पर फोन कर सकती है तथा उसे तत्काल उचित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत हम शिमला शहर तथा अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक गन्तव्यों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित करेंगे।

125. सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों का निरन्तर पुनर्विलोकन करने तथा पुलिस व दूसरे प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करवाने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथा ज़िला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया है। पुलिस को महिला उन्मुखी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास पुलिस बल में पर्याप्त महिला पुलिस कर्मचारी हों। वर्तमान में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या लगभग 10 प्रतिशत है। इसलिए, मैं घोषणा करता हूँ कि पुलिस बल में सिपाही व उप निरीक्षक के पदों की भर्ती में महिलाओं की कम से कम 20 प्रतिशत भर्ती होगी।

126. अनाथ और निराश्रित बच्चों के संरक्षण और देखभाल की सेवाओं को जिला मण्डी, कांगड़ा, शिमला और चम्बा में **जिला बाल संरक्षण यूनिट** स्थापित कर सुदृढ़ किया जाएगा। मैं, ज़िला शिमला और कांगड़ा में ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, दो ओपन शैल्टर स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ। इन आश्रयों में बच्चे तब तक रह सकेंगे जब तक उनका सही पुनर्वास नहीं हो जाता।

127. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में विधवा विवाह करने के लिए ₹25000 का अनुदान दिया जाता है। इस समाज हित के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि विधवा विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि ₹25000 से बढ़ाकर ₹50000 कर दी जाएगी।

128. मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, उनके स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सशक्तिकरण के मामलों एवं नीतियों के पुनर्विलोकन के उद्देश्य से प्रदेश में एक उच्च स्तरीय **'महिला कल्याण बोर्ड'** का गठन किया जाएगा।

129. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के कमजोर एवं दलित वर्ग के कल्याण हेतु कृतसंकल्प है। मैं अनूसूचित जाति उप–योजना के तहत् वर्ष 2013–14 में ₹1014 करोड़ का आबंटन प्रस्तावित करता हूँ। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले।

130. राज्य में वृद्ध, विधवा एवं विकलांगों को मिलाकर कुल 2,82,552 सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगी हैं। मैं पहले ही 1 अप्रैल, 2013 से पेंशन दर को ₹450 से बढ़ाकर ₹500 प्रतिमाह करने की घोषणा कर चुका हूँ। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि 80 साल से ऊपर के पेंशन भोगियों

को ₹1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। वर्तमान में 10900 पेंशन के आवेदन लम्बित पड़े हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इन सभी आवेदकों को 1 अप्रैल, 2013 से पेंशन मंजूर कर दी जाएगी। इससे पेंशन भोगियों को वर्ष 2013–14 के दौरान लगभग ₹200 करोड़ का लाभ मिलेगा।

131. जाति के बन्धन को खत्म करने के लिए अर्न्तजातीय विवाह एक प्रभावी उपाय है तथा समाज में समता बनाने के लिए इसे प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। मैं, इसलिए अर्न्तजातीय विवाह के लिए वर्तमान में दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि को ₹25000 से बढ़ाकर ₹50000 करना प्रस्तावित करता हूँ।

132. इसी तरह, **'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना'** के तहत बेटी के विवाह के लिए ₹21000 की सहायता प्रदान की जाती है। मैं घोषणा करता हूँ कि 1 अप्रैल, 2013 से यह सहायता राशि बढ़ाकर ₹25000 कर दी जाएगी।

133. अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोागों को नए मकान बनाने के लिए ₹48500 का गृह अनुदान दिया जाता है। मैं अगले वर्ष से यह अनुदान राशि बढ़ाकर ₹75000 करने की घोषणा करता हूँ।

जनजातीय विकास

134. जनजातीय क्षेत्र का समान व संतुलित विकास तथा जनजातीय लोगों का कल्याण राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से वर्ष 2013–14 में जनजातीय उप–योजना में ₹369 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रावधान से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। मैं जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 2013–14 में गैर योजना के आबंटन समेत ₹764 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

135. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। मैं भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाएं जो 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, की पैंशन 1 अप्रैल, 2013 से ₹400 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹500 करने की घोषणा करता हूँ। उन सभी सैनिकों के माता–पिता को जो अपने बच्चे देश की सुरक्षा हेतु भेजते हैं, मैं युद्ध जागीर की राशि को ₹2000 से बढ़ाकर ₹3000 करना प्रस्तावित करता हूँ। भूतपूर्व सैनिक कल्याण

136. अध्यक्ष महोदय, पुलिस, कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस विभाग ने किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए मोबाईल नं0 9459100100 पर निःशुल्क एस0एम0एस0 सेवा आरम्भ की है। इस सेवा को सभी लोगों ने विशेषकर महिलाओं ने बहुत सराहा है। अभी तक एस0एम0एस0 के माध्यम से 5273 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की वैबसाइट पर भी महिलाओं द्वारा ऑनलाईन शिकायतें की जा रही हैं जिन पर 48 घण्टों के अन्दर कार्यवाही की जाती है। गृह/कानून एवं व्यवस्था

137. पुलिस थाना, चौकियों और फायर स्टेशनों के प्रभारियों द्वारा चौबीस घण्टे आपात सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के मध्यनजर मैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार की सी0यू0जी0 स्कीम के अन्तर्गत मोबाईल फोन के प्रयोग के लिए ₹350 द्विमाही प्रतिपूर्ति करने की घोषणा करता हूँ।

138. अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा पुलिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि 1 अप्रैल, 2013 से उनका विद्यमान वर्दी भत्ता बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाएगा।

139. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान आम जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। जोगिन्द्रनगर, ज्वालामुखी, नूरपुर, सुजानपुर टीहरा, अम्ब, और केलांग में छः नए फायर पोस्ट शुरू

किए जा चुके हैं। डलहौजी, काला अम्ब और नैनादेवी में जल्दी ही तीन और नए फायर पोस्ट शीघ्र ही शुरू कर दिए जाएंगे। मैं वर्ष–2013–14 में पुलिस तथा सम्बद्ध संगठनों के लिए ₹723 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

न्यायिक प्रशासन

140. लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु न्यायिक प्रशासन को सुदृढ़ किया जाएगा। इस उद्देश्य से राज्य में 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय और 2 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय स्थापित किए जाऐंगे।

रोजगार सृजन

141. बेरोज़गारी न केवल हमारे देश की गंभीर समस्या है बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। सरकार इस समस्या से परिचित है। इसलिए रोज़गार के अवसर पैदा करने तथा श्रमिक कल्याण के लिए सरकार सतत् प्रयास करेगी। हमने अपने पिछले कार्यकाल में राज्य में लगने वाले उद्योगों एवं पन–बिजली परियोजनाओं में 70 प्रतिशत रोज़गार हिमाचलवासियों को उपलब्ध करवाने के लिए नीति बनाई थी । हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों और पन–बिजली परियोजनाओं में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध हो। उल्लंघन करने वाली इकाईयों पर सरकार सख्त कार्यवाही करेगी।

142. अध्यक्ष महोदय, हमारे रोजगार कार्यालयों में बड़ी संख्या में बेरोज़गार युवा पंजीकृत हैं। बेरोज़गारी एक कठिन समस्या है जिसे रातों–रात नहीं सुलझाया जा सकता परन्तु यदि युवकों की कौशल वृद्धि की जाए तो उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में काफी हद तक सहायता मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है :–

"Give a man a fish and you feed him for a day, Teach a man to fish and you feed him for a lifetime".

इसलिए हमारी सरकार शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को **"कौशल विकास भत्ता"** देने की इच्छा रखती है। इसलिए, मैं यह घोषणा करता हूँ कि 25 से 35 वर्ष की आयु के बीच के 10+2 और उससे अधिक शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को जिनके नाम कम से कम दो साल से रोज़गार कार्यालयों में दर्ज़ चले आ रहे हैं और वे कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, को ₹1000 प्रतिमाह की दर से **"कौशल विकास भत्ता"** दो वर्ष के लिए दिया जाएगा। यह भत्ता विकलांग होने की स्थिति में ₹1500 प्रति माह होगा। ज्यादातर कौशल विकास प्रशिक्षण तीन माह से दो वर्ष के बीच पूर्ण किए जा सकते हैं। यह भत्ता उन बेरोज़गारों को दिया जाएगा जिनकी परिवार की आय ₹2 लाख वार्षिक से कम है। बेरोज़गार जिस भी क्षेत्र में और जहां से भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण उपरान्त अगर बेरोज़गार युवक स्वरोज़गार अपनाना चाहे तो वह किसी बैंक या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग निगमों से ऋण प्राप्त कर सकता है ऐसा करने पर उसे ₹1.50 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 4 प्रतिशत ब्याज सबसिडी अगले पांच वर्षों तक दी जाएगी। अगर दो वर्ष से पहले ही कोई व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोज़गार के लिए ऋण लेता है तो उसे उसी समय से 4 प्रतिशत ब्याज सबसिडी दे दी जाएगी। मैं **"कौशल विकास भत्ते"** के लिए ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। मैं प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों से कहना चाहूँगाः–

कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें,
कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें,
अपने हाथ की लकीरों को मत देख,
इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें।

143. क्योंकि कौशल वृद्धि रोजगार प्राप्त करने की चाबी है, इसलिए मैं **"राज्य कौशल विकास परिषद्"** स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ।

यह परिषद् विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय बिठाएगी ताकि प्रशिक्षित लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हों। हम निजी कौशल विकास संस्थाओं से भी तालमेल करेंगे जो प्रशिक्षण उपरान्त रोज़गार उपलब्ध करवा सकें। मैं 5000 भवन एवं निर्माण कार्य में कार्यरत कामगारों व उनके आश्रितों को कौशल वृद्धि प्रशिक्षण करवाने की घोषणा करता हूँ। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के अन्तर्गत कौशल वृद्धि प्रशिक्षण करवाया जाएगा। राज्य सरकार भारत सरकार के टैक्सटाइल मन्त्रालय की सहायता से राज्य में कौशल वृद्धि एवं रोज़गार के अवसर पैदा करने हेतु 12 Apparel व Textile Design केन्द्र खोलेंगी। प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए राज्य में प्लास्टिक टैक्नोलोजी की एक केन्द्रीय इकाई शीघ्र ही खोली जाएगी।

कर्मचारी कल्याण

144. अध्यक्ष महोदय कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनका कल्याण हमारे लिए सदैव सर्वोपरि रहा है। छोटे स्तर के कर्मचारियों के बहुत से पद खाली पड़े हैं। मैं 2000 पद विभिन्न वर्गों के अध्यापकों के, 500 पद Data Entry Operators/Computer Operators के, 500 पद जल रक्षक के, 500 पद पटवारियों के, 250 JEs/Surveyors के, 200 फोरेस्ट गार्ड के और 100 पद नर्सों के भरे जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं डॉक्टरों के सभी खाली पदों को भरने की भी घोषणा करता हूँ।

145. प्रदेश के जन–जातीय और दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। वर्तमान में उन्हें ₹200 प्रतिमाह शीतकालीन भत्ता दिया जा रहा है। मैं उसे बढ़ाकर ₹300 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। इससे हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

146. बहुत से कर्मचारी एवं पैंशन धारकों को ₹250 निश्चित मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। मैं अब उसे बढ़ाकर ₹350 मासिक करने की घोषणा करता हूँ।

147. मैं घोषणा करता हूँ कि अगले वित्त वर्ष में 2006 से पहले के पैंशन धारकों और पारिवारिक पैंशन धारकों की पैंशन उनके सेवानिवृत्त होने के समय पूर्व संशोधित वेतनमान से 2006 के नए वेतनमान के न्यूनतम वेतनमान एवं ग्रेड पे तक क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाएगी। इससे हज़ारों पैंशन धारकों को वार्षिक लगभग ₹30 करोड़ का लाभ होगा।

148. मैं घोषणा करता हूँ कि 31 मार्च 2013 को 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबन्ध कर्मचारियों तथा 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले दैनिक भोगियों को मापदंडों अनुसार नियमित कर दिया जाएगा। साथ ही अंशकालीन कर्मचारियों जिनमें शिक्षा विभाग के जलवाहक भी शामिल हैं, को 31 मार्च, 2013 को 9 साल का लगातार कार्यकाल पूर्ण करने पर मापदंडों अनुसार दैनिक वेतन भोगी बना दिया जाएगा।

149. हिमाचल प्रदेश में लगभग 93 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। भवनों और निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की भलाई के लिए सरकार ने **'Building & Other Construction Workers Welfare Board'** का गठन किया है। कामगारों की इस बोर्ड में पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। मैं इनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते को ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 प्रतिवर्ष, दो बच्चों तक दी जाने वाली शिक्षा सहायता जो ₹10,000 तक है को बढ़ाकर ₹15,000 तक करने की घोषणा करता हूँ। कामगार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को दी

जाने वाली आर्थिक सहायता को ₹50000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया जाएगा। मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि कामगारों को दो बच्चों तक की शादियों पर ₹21000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

बजट अनुमान

150. अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2013–14 के लिए मैक्रो (Macro) बजट अनुमानों तथा 2012–13 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों के अनुसार हम FRBM अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित राजस्व अधिशेष तथा वित्तीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। FRBM अधिनियम की आवश्यकता अनुरूप मैं वर्ष 2013–14 से 2016–17 की अवधि के लिए प्रदेश सरकार की मध्यावधि वित्तीय योजना अलग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।

151. वर्ष 2013–14 के लिए कुल ₹21767 करोड़ का बजट व्यय अनुमानित है। वेतन पर अनुमानित व्यय ₹6956 करोड़, पैंशन पर ₹2839 करोड़, ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय ₹2431 करोड़, ऋणों की अदायगी पर ₹1714 करोड़ तथा अन्य ऋणों पर ₹342 करोड़ एवं रख–रखाव पर ₹1721 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

152. वर्ष 2013–14 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति ₹17700 करोड़ तथा कुल राजस्व व्यय ₹17646 करोड़ अनुमानित है, जिससे राजस्व खाते में ₹54 करोड़ का अधिशेष रह जाएगा। सरकार के पूंजी खाते में ₹3540 करोड़ तथा लोक लेखा में भविष्य निधि इत्यादि की ₹650 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं। ऋण की अदायगी सहित कुल पूंजी व्यय के ₹4120 करोड़ रहने का अनुमान है। वर्ष 2013–14 के लिए वित्तीय घाटा ₹2324 करोड़ रहने का अनुमान है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.85 प्रतिशत है।

153. इस प्रकार बजट अनुमानों के अनुसार, प्रति ₹100 व्यय के मुकाबले, प्रदेश की आय तथा केन्द्र से प्राप्त धनराशि सहित कुल राजस्व आय ₹81.31 होगी। ₹18.69 के इस अन्तर को ऋण द्वारा पूरा करना होगा। प्रदेश के राजस्व आय के प्रति ₹100 में से ₹30.35 कर राजस्व, ₹13.52 गैर कर राजस्व, ₹15.35 केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी तथा ₹40.78 केन्द्रीय अनुदान द्वारा प्राप्त होंगे। व्यय किए गए प्रति ₹100 में से, वेतन पर ₹31.95, पैंशन पर ₹13.05, ब्याज अदायगी पर ₹11.17, ऋण अदायगी पर ₹7.87, जबकि शेष ₹35.96 विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाऐंगे।

154. अध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष के बजट प्रावधान माननीय सदन में प्रस्तुत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध हैं। अब मैं इस बजट के मुख्य कल्याणकारी प्रस्तावों का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

- **हर विभाग अपने सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं निर्देशिकाओं की संवीक्षा करेगा और प्रक्रियाओं को सरल करके उन्हें लोकोन्मुखी बनाएगा ।**
- **शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य आयुक्त, (जन–शिकायत) की नियुक्ति की जायेगी।**
- **विभिन्न विभागों की प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन हेतु राज्य में "प्रशासनिक सीमाऐं पुनर्गठन आयोग" का गठन किया जाएगा।**
- **नई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹5 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ "स्टेट इनोवेशन फण्ड" की स्थापना की जाएगी।**
- **राज्य सरकार की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।**

- खाद्य उपदान योजना हेतु ₹175 करोड़ का बजट प्रस्ताव।
- वार्षिक योजना 2013–14 के लिए ₹4100 करोड़ के परिव्यय प्रस्तावित।
- प्रत्येक माननीय विधायक को 2 लाख रूपये की ऐच्छिक निधि।
- एकीकृत फसल विविधता कार्यक्रम आरम्भ करना जिसके तहत 3000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाना।
- "मुख्य मन्त्री आदर्श कृषि गांव योजना" के अन्तर्गत 68 पंचायतों को कृषि सम्बन्धी अधोसंरचना के लिए ₹10 लाख प्रति पंचायत की राशि प्रदान की जाएगी।
- मशरूम को भी कृषि गतिविधि माना जाएगा।
- किसानों को राज्य में ही जैविक खेती प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए "जैविक प्रमाणिक एजेन्सी" की स्थापना की जाएगी।
- किसानों को आने वाली खरीफ की फसल पर मक्की, धान एवं चारे के उन्नत बीज पर 50 प्रतिशत सबसिडी।
- कृषि उद्देश्य से खरीदे गए ट्रैक्टरों पर टोकन टैक्स माफ किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले की एक पंचायत को जो पूर्णतः अवारा पशु मुक्त हो उसको ₹5 लाख का नकद पुरस्कार ।
- गैर सरकार संस्थाओं/ट्रस्ट को गौशाला चलाने के लिए गौशाला निर्माण व चारा इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता।
- मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब, आम, किन्नु, माल्टा और गलगल के प्रापण मूल्यों में 50 पैसे की वृद्धि।
- एन्टी हेल नेट 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाना।
- दूध का प्रापण मूल्य 1 अप्रैल 2013 से ₹17.80 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹18.80 प्रति लीटर किया जाना ।

- राज्य के जलाशयों के समीप इन–लैन्ड फिश लैन्डिंग सैन्टर के जीर्णोद्धार के लिए ₹1.90 करोड़ का प्रावधान।
- 6 नए बन्दर नसबन्दी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए नई एकीकृत सहकारी विकास परियोजना।
- राजीव आवास योजना तथा राज्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान को ₹48500 से बढ़ाकर ₹75000 किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की सी0यू0जी0 स्कीम के अन्तर्गत मोबाईल फोन के प्रयोग के लिए **BDOs**, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों तथा थानों, चौकियों एवं अग्निशमन केन्द्रों के प्रभारियों को ₹350 द्विमाही की प्रतिपूर्ति।
- 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2500 अतिरिक्त बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना तथा 2000 हैंडपम्प लगाने का लक्ष्य।
- माइक्रो, मिनी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को विभिन्न विभागों से वांछित कानूनी अनुमतियां शीघ्र दिलवाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन ।
- घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर सबसिडी के लिए ₹270 करोड़ का बजट प्रावधान।
- **HPSEBL** को ₹75 करोड़ की **equity**।
- पीने का पानी और सिंचाई व्यवस्था हेतु ऊर्जा व्यय को अदा करने के लिए ₹230 करोड़ का प्रावधान ।
- ऊना, सोलन और कांगड़ा जिलों में 3 आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- औद्योगिक परियोजनाओं की स्वीकृति को समयबद्ध बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाना।

- औद्योगिक इकाईयों को 1.5 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर तथा नई औद्योगिक इकाईयों को केवल 1 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर।
- खण्ड एवं उप–मण्डल मुख्यालयों पर बस अड्डों के निर्माण एवं स्तरोन्नत करने के लिए ₹10 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान।
- हिमाचल पथ परिवहन निगम को ₹160 करोड़ की इक्विटी तथा अनुदान।
- ई–रिटर्न, ई–डेक्लेरेशन, ई–टैक्स पेमेन्ट और सी एण्ड एफ फार्म जारी करने की सुविधा ₹40 लाख या इससे अधिक बिक्री करने वालों को भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, यात्री एवं वस्तु कर अधिनियम तथा विलास कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क को समाप्त किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड को पुनः बहाल करना।
- सभी प्रकार के चप्पल/जूतों पर 9 प्रतिशत **VAT**।
- एवियेशन टरबाइन फ्यूल पर वैट दर को 5 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत किया जाएगा।
- पिछड़ी पंचायतों में खुलने वाले नये होटलों को विलासिता कर से दस वर्षों के लिए छूट दी जाएगी।
- सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में स्कूल आने और जाने के लिए 1 अप्रैल, 2013 से निःशुल्क बस सेवा।
- कैंसर ग्रसित, रीढ़ की हड्डी में चोट वाले तथा डायलेसिज पर रखे गए मरीजों को एक परिचर के साथ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।

- पिछली सरकार द्वारा बंद/अनुसूचित की गई पाठशालाओं को दोबारा खोलना/स्तरोन्नत करना ।
- पी0 टी0 ए0 ग्रांट प्रवक्ताओं को ₹7250 से ₹10875, टी0जी0टी0 को ₹6950 से ₹10425 और सी0 एण्ड वी0 को ₹6750 से ₹10125 बढ़ाना।
- 618 उच्च माध्यमिक पाठशालाओं और 837 उच्च पाठशालाओं में स्मार्ट क्लास रूम।
- 100 नए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से उत्तीर्ण दसवीं और बारहवीं कक्षा के 5,000 मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत् नेट बुक्स/टेबलेट्स दिए जाएंगे।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कांगड़ा ज़िला में एक नया इंजीनियरिंग कालेज।
- **IIT, IIM, AIIMS** मे चयनित प्रदेश के विद्यार्थियों को ₹75000 रूपये की प्रोत्साहन राशि।
- ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्र जहां सरकारी **ITI** नहीं हैं, वहां पर **ITI** संस्थान खोले जाएंगे।
- प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ईनामी राशि दोगुनी की जाएगी। परशुराम पुरस्कार विजेताओं की ईनामी राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख ।
- स्नातकोत्तर अनुबन्ध चिकित्सा अधिकारियों को दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने हेतु मासिक प्रोत्साहन राशि ₹15000 से बढ़ाकर ₹25000 प्रतिमाह तथा ₹25000 से ₹40000 प्रतिमाह की जाएगी।
- स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले डॉक्टरों को मिलने वाला उच्च शिक्षा भत्ता ₹5000 से बढ़ाकर ₹7000 तथा स्नातकोत्तर

डिप्लोमा प्राप्त करने वाले डॉक्टरों को ₹2000 से बढ़ाकर ₹3500 प्रतिमाह करना।

- सिगरेट तथा सिगार इत्यादि पर वैट को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत तथा बीड़ी पर 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करना।
- पुलिस सिपाही और सहायक निरीक्षक में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती ।
- विधवाओं के पुर्नविवाह तथा अंर्तजातीय विवाह के लिए सहायता राशि ₹25000 से बढ़ाकर ₹50000 की जाएगी।
- राज्य में महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत ₹1014 करोड़ तथा जनजातीय उपयोजना के तहत ₹369 करोड़ का प्रावधान।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹450 से बढ़ाकर ₹500 तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को ₹1000 दर से पेंशन। सभी लमबित आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अर्न्तगत सहायता राशि एक अप्रैल, 2013 से ₹21000 से बढ़ाकर ₹ 25000 की जाएगी।
- भूतपूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं की पैंशन 1 अप्रैल, 2013 से ₹500 प्रतिमाह पैंशन दी जाएगी।
- वार जागीर की राशि को ₹2000 से बढ़ाकर ₹3000 करना।
- अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का वर्दी भत्ता 1 अप्रैल, 2013 से दोगुना कर दिया जाएगा।
- राज्य में 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, 2 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय स्थापित किए जाऐंगे।
- 10 जमा दो तथा इससे अधिक शिक्षित बेरोजगार युवकों को ₹1000 प्रतिमाह की दर से "कौशल विकास भत्ता"। विकलांग व्यक्तियों के लिए यह दर ₹1500 प्रति माह । ₹1.50 लाख

तक के प्रोजेक्ट पर अगले पांच वर्षों के लिए ब्याज पर 4 प्रतिशत सबसिडी।

- राज्य कौशल विकास कौंसिल की स्थापना।
- विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 2000, **Data Entry Operator/Computer Operator** के 500, जल रक्षक के 500, पटवारियों के 500, **JE/surveyor** के 250, पंचायत सहायक के 200, वन रक्षक के 200, नर्सों के 100 तथा डाक्टरों के सभी खाली पद भरे जाएंगे।
- जनजातीय तथा कठिन क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का शीतकालीन भत्ता ₹200 से बढ़ाकर ₹300 प्रतिमाह।
- कर्मचारियों तथा पेंशन्रों का निर्धारित चिकित्सा भत्ता ₹250 से बढ़ाकर ₹350 प्रतिमाह।
- 31 मार्च, 2013 को 6 वर्ष पूरे करने वाले अनुबन्ध कर्मचारियों तथा 7 वर्ष पूरे करने वाले दैनिक भोगियों को नियमानुसार नियमित किया जाएगा।
- 31 मार्च, 2013 को 9 वर्ष पूरे करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को नियमानुसार दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।
- भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे पंजीकृत मजदूरों की विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत सहायता राशि में वृद्धि।

155. अध्यक्ष महोदय, मैंने आने वाले वर्ष में प्रदेश में तेज, सत्त तथा समावेशी विकास के लिए हमारे द्वारा अपनाए जाने वाले नीतिगत पहलुओं तथा रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की है । निष्कर्ष

156. हमारी सरकार हमेशा लोगों की समस्याओं तथा चिन्ताओं के प्रति सजग रहेगी। हम ऐसी लोकोन्मुखी नीतियां अपनाएंगे जिससे विकास का लाभ प्रदेश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुँचे।

157. इस बजट को प्रदेशवासियों की सेवा के प्रति हमारे संकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए । मैं इस बजट को प्रदेश के लोगों को समर्पित करता हूँ तथा उनसे हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाने में सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

158. इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को मान्य सदन को संस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द।

जय हिमाचल।